न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 102/2016
अनिता देवी बनाम फूलन देवी

–:: आदेश ::–

31.3.18

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अनिता देवी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 79/2013–14 श्रीमति फूलन देवी बनाम राज्य एवं श्रीमति अनिता देवी वगैरह में दिनांक– 03.01.2015 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3226 दिनांक– 11.08.15 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका– 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या–206 मनखाहा, ग्राम पंचायत, अतलखा, प्रखण्ड– सोनवर्षा राज के सेविका पद के लिए विभाग द्वारा सेविका चयन मार्गदर्शिका 2011 के कण्डिका– 8.1 के तहत पोषक क्षेत्र के उम्मीदवारों से दिनांक– 31.07.2013 तक आवेदन की मांग की गई थी, जिसमें समर्पित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति आम सभा में समर्पित करने को कहा गया था। अपीलार्थी अनीता देवी ने विधिवत सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित की थी, किन्तु प्रत्यर्थी फुलन देवी ने अष्टम उत्र्तीण प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ आवेदन दिनांक– 31.07.2013 को समर्पित की थी एवं मैट्रिक उत्र्तीण दिनांक– 31.07.2013 तक नहीं थी।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि आम सभा दिनांक– 12.02.2014 तक फूलन देवी मैट्रिक उत्र्तीण हुई। दिनांक– 05.08.2013 को अंक पत्र दिनांक– 16.11.2013 को विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र उसे प्राप्त हुआ अर्थात दिनांक– 08.08.2013 को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से उसने मध्यमा उत्र्तीण की है तथा दिनांक– 12.02.2014 को आम सभा में मूल प्रमाण पत्र समर्पित कर उन्होंने अपनी नियुक्ति अधिक अंक के आधार पर अपीलार्थी के एवज में मांग की हैं। आम सभा में पाया गया कि दिनांक– 31.07.2013 को फूलन देवी ने आवेदन दिया जो आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के अनुसार है उस समय फूलन देवी मैट्रिक या समक्ष योग्यता नहीं रखती है, फूलन देवी आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं थी। इसलिये दिनांक– 12.02.2014 को उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र अंक पत्र मूल के आधार पर उसकी अभ्यर्थित्व नहीं मानी जा सकती है इसलिये अपीलकर्त्ता अनिता देवी का चयन बाहुल्य वर्ग से किया गया एवं चयन पत्र दिया गया तथा अनिता देवी ने अपना योगदान दिया। किन्तु, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा ने अपीलकर्त्ता को प्रशिक्षण में नहीं भेजकर फूलन देवी से आवेदन लेकर एक वर्ष तक लटकाये रखा एवं अचानक दिनांक– 03.01.2015 को फूलन देवी को प्रशिक्षण में भेजने का आदेश निर्गत कर दिया तो अपीलकर्त्ता ने उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा, आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के जनता दरबार एवं जिला पदाधिकारी, जनता दरबार, सहरसा में आवेदन समर्पित किये। उसके बाद अपील वाद संख्या– 79/2013–14 में आदेश दिनांक– 13.01.2015 को दिनांक– 03.01.2015 की तिथि से हस्ताक्षरित अपीलकर्त्ता को ज्ञापांक 29–1 दिनांक– 03.01.2015 की प्रतिलिपि छाया प्रति दिया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि 31.07.2013 को प्रत्यर्थी फूलन देवी मैट्रिक या समकक्ष योग्यताधारी नहीं हैं। मार्गदर्शिका 2011 में वहीं अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र आम सभा में समर्पित करने का हकदार है जो विज्ञापन की अंतिम तिथि को आवेदन समर्पित करने की तिथि को मैट्रिक उत्र्तीण है। फूलन देवी दिनांक– 31.07.2013 तक पात्र अभ्यर्थी नहीं हैं। फूलन देवी को पात्रता दिनांक– 08.08.2013 को मिला हैं। फुलन देवी अष्टम उत्र्तीण प्रमाण पत्र एवं मैट्रिक उत्र्तीण प्रमाण पत्र के मिलान से साबित होता है कि उसने जालसाजी कर जन्म तिथि चढ़वाया हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा का आदेश दिनांक– 03.01.2015 ज्ञापांक 29–1 दिनांक– 03.01.2015 अपील वाद संख्या– 79/2013–14 फूलन देवी बनाम अनिता देवी मार्गदर्शिका 2011 के प्रतिकूल एवं अवैध है, के आधार पर है।

31.3.18

प्रतिपक्षी का कथन है कि ऑगनवाड़ी द्वितीय अपील वाद जो अपीलार्थी अनीता देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सहरसा के आदेश दिनांक– 03.01.2015 आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 79/2013–14 के विरूद्ध दाखिल करना खारीज योग्य हैं। दिनांक– 12.02.2014 को सोनवर्षा प्रखण्ड के अतलखा पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0–1 केन्द्र मनखाड़ा केन्द्र संख्या– 206 के लिए ऑगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु आम सभा आयोजित कि गई, जो अत्यन्त पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी, जिसमें आवेदिका के रूप में (1) फूलन देवी, पति– बेचन शर्मा, साकिन– अतलखा, थाना– बसनही, अंचल– सोनवर्षा राज, जिला– सहरसा सारे कागजात के साथ उपस्थित थी। लेकिन गलत ढंग से मेधाक्रम में श्रीमति अनिता देवी एवं विपक्षी संख्या–1 फूलन देवी का चयन किया गया दोनों बाहुबल क्षेत्र में हैं। विपक्षी फूलन देवी के आवेदन का चयन मात्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र कि छाया प्रति आवेदन में संलग्न नहीं रहने के कारण आवेदन को निरस्त किया गया, जबकि अंक पत्र आम सभा में प्रस्तुत किया गया। समाज कल्याण विभाग, पटना के पत्रांक– 2897 दिनांक– 10.06.2013 के कंडिका संख्या– 4.8 के प्रावधान के अनुकूल जन प्रतिनिधि में बहु, रिश्तेदार, अयोग्य होगी। जबकि आम सभा के पारा–4 में इस बात का जिक्र किया गया है कि आवेदिका के भैसुर वार्ड सदस्य है, फिर भी इनका चयन किया गया जो प्रावधानों के अनुकूल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अनिता देवी, पति– राजकुमार शर्मा तॉती जाति से है, जो हरिजन वर्ग से आते हैं। इस कारण भी मनखाहा केन्द्र संख्या– 206 के लिए अयोग्य हैं। वण्रित केन्द्र अत्यन्त पिछड़ी जाति के लिए हैं। अपीलार्थी द्वारा यह कहना बिल्कुल गलत व निराधार है। जबकि, आम सभा दिनांक–12.02.14 को हुआ था।

प्रतिपक्षी ने आगे कहा कि ऑगनवाड़ी मनखाहा केन्द्र संख्या– 206 में जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा ज्ञापांक 110–1 दिनांक– 25.01.2014 के आलोक में आम सभा आहूत कर दिनांक– 12.02.2014 की गई तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि विपक्षी फूलन देवी द्वारा दिनांक– 08.08.2013 का अंक प्रमाण पत्र की प्रति नहीं दिया गया, जबकि विपक्षी फूलन देवी का कुल प्राप्तांक 51.43 प्रतिशत है वो बाहूबल क्षेत्र है, जो ऑगनवाड़ी सेविका पद के लिए सभी अर्हताओं को पुरा करती हैं। मेधा सूची में जान–बुझकर बदनियती से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा वर्ष 2013 में अंक प्रमाण पत्र की प्रति का प्राप्तांक दर्ज नहीं की गई। किन्तु फिर भी अपीलकर्त्ता अनीता देवी का चयन बाहुल्य वर्ग से चयन किया गया वो फुलन देवी का गलत ढंग से सेविका के रूप में फुलन देवी का चयन न कर मार्गदर्शिका एवं विधि के विरूद्ध किया गया था। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 द्वारा दिनांक– 03.01.2015 को दोनों पक्षों के दलील एवं कागजातों का अवलोकन के पश्चात यह निर्णय पारित किया गया हैं। साथ हीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी फुलन देवी का अंक 51.43 प्रतिशत है और आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र एवं पिछड़ा बाहुल्य वर्ग से है। अतः चयनित उम्मीदवार आंगनवाड़ी सेविका पद के लिए मीनी केन्द्र मनखाहा केन्द्र संख्या– 206 पर किया जाना सही प्रतीत नहीं होता हे। अतः उनका चयन रद्ध किया जाता है एवं फुलन देवी का चयन किया गया हैं।

उभय पक्षों को सुना। निम्न न्यायालय अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का भी अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसीं प्रकार की त्रुटि नहीं हैं।

अतएव प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

31.3.15

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

31.3.15

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 529-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 31-03-2017.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

31.3.17